

12 + 1/29
50

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

No. 6]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 6(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441, 443, 445, 446, 448, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 458क, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 474, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 494, 497, 511, 511क, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 528, 529, 529क, 530, 531, 531क, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559 धारा 560 और धारा 584 के उपबंध, सीमित दायित्व भागीदारी को वहां के सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, निम्नलिखित उपांतरणों सहित लागू होंगे :—

उपांतरण

- (i) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "कम्पनी" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "अनुच्छेद" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी करार" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों (धारा 544 के सिवाय) में से किसी में आने वाले "निदेशक" शब्द के स्थान पर "अभिहित भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "संप्रवर्तक" या "सदस्य" या "अभिदायी" शब्द के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखा जाएगा;
- (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों [धारा 454 की उप-धारा (5क), धारा 482 और धारा 484 के सिवाय] में से किसी में आने वाले "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखा जाएगा। परंतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन होने तक "अधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;
- (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "यह अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) सारणी में दिए गए उपांतरण।

स्पष्टीकरण : सीमित दायित्व भागीदारी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

- (क) जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 को लागू उपर्युक्त धारा की कोई उप-धारा जो सारणी में विनिर्दिष्ट नहीं है वहां उस धारा की ऐसी उप-धारा, सीमित दायित्व भागीदारी को किसी उपांतरण के बिना लागू है; और
- (ख) "सीमित दायित्व भागीदारी समापक" से सीमित दायित्व भागीदारी समापक अभिप्रेत है;

सारणी

सीमित दायित्व भागीदारी को लागू कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उपांतरण

क्रम सं०	कंपनी अधिनियम, 1956 में भाग/ अध्याय/धारा सं०/ पार्श्व टिप्पण और उपधारा (एँ)	उपांतरण
(1)	(2)	(3)
	<u>भाग 7 : परिसमापन :</u> <u>अध्याय 2 : अधिकरण द्वारा परिसमापन</u>	
1.	धारा 441 (न्यायालय द्वारा परिसमापन का प्रारंभ)	
	उपधारा (1) और उपधारा (2)	उपधारा (1) और उपधारा (2) में,- (i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ; और (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
2.	धारा 443 (याचिका सुनवाई पर न्यायालय की शक्तियाँ)	
	उपधारा (1)	निम्नलिखित के साथ उपधारा (1) का प्रतिस्थापन करें । “ (1) परिसमापन याचिका की सुनवाई पर अधिकरण

		<p>याचिका के उपसंजात होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर”</p> <p>(क) इसे खर्चें साहित या खर्चों के बिना खारिज करें</p> <p>(ख) कोई अंतरिम आदेश करें जो वह ठीक समझें ;</p> <p>(ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 से धारा 62 में यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्जीवन या पुनरुद्धार के लिए कार्यवाही का निदेश दें ;</p> <p>(घ) परिसमापन आदेश करने तक किसी “परिसमापक” को सीमित दायित्व भागीदारी का अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त करें ;</p> <p>(ङ) खर्चें सहित या खर्चों के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए कोई आदेश करें ।</p> <p>(च) कोई अन्य आदेश या आदेश जो ठीक समझें :</p> <p>परंतु यह कि अधिकरण केवल इस आधार पर कोई परिसमापन आदेश करने से इंकार नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी की परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों के बराबर रकम या उससे अधिक के लिए आडवान की गई हैं या यह कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई परिसंपत्ति नहीं है ।”</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p>

	उपधारा (3)	उपधारा (3) का लोप करें ;
3.	धारा 445 (परिसमापन आदेश की प्रति का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (1) परिसमापन की कार्यवाहियों में अर्जीदार का और सीमित दायित्व भागीदारी का यह कर्तव्य होगा कि परिसमापन का आदेश दिए जाने पर वह आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार के यहां उस तारीख से पंद्रह दिन के अंदर फाइल कर दे, जो उस आदेश के किए जाने की है । यदि पूर्वगामी उपबंध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो अर्जीदार अथवा जैसा कि मामले में अपेक्षित है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार, जो व्यतिक्रम करते हैं, जुर्माने से जो उस अर्जन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है प्रत्येक दिन के दौरान एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।”
	उपधारा (1क)	उपधारा (1क) में, “ तीस दिन” शब्दों के स्थान पर “ पंद्रह दिन” शब्द रखें ।
	उपधारा (2) और उपधारा (3)	उपधारा (2) और उपधारा (3) में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ” ;
4.	धारा 446(वादों का परिसमापन आदेश होने पर रोक दिया जाना)	
	उपधारा (1) से उपधारा (3)	उपधारा (1) से उपधारा (3),-

		<p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “शासकीय समापक” शब्द के स्थान पर “समापक” रखें ।”</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) खंड (ग) में, “धारा 391” शब्द और अंक के स्थान पर “धारा 60” शब्द और अंक रखें ; और</p> <p>(ii) अंक में आने वाले निम्नलिखित शब्दों और अंकों का लोप करें -</p> <p>“अथवा कंपनीज (अमेंडमेंट) एक्ट, 1960(1960 का 65) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् ”</p>
5.	धारा 448 (शासकीय समापक की नियुक्ति)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन करने के प्रयोजन के लिए या अनंतिम समापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनों के लिए एक “समापक” होगा वह या तो शासकीय समापक द्वारा या किसी ऐसे समापक द्वारा अधिकरण के किसी आदेश द्वारा ऐसे वृत्तिकों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा जैसे फर्म या निगमित निकाय जो ऐसे वृत्तिकों से मिलकर बना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए उस प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में गठित किया जाएगा जो विहित की जाए । ऐसे किसी आदेश के अभाव में शासकीय समापक हो जाएगा या “समापक” के रूप में कृत्य करेगा ।”</p>

	उपधारा (1क) और उपधारा (2)	उपधारा (1) और उपधारा (2) को लोप करें ।
6.	धारा 450 (अंतरिम समापक की नियुक्ति और शक्तियां)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (1) अधिकरण परिसमापन की अर्जी के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् या परिसमापन का आदेश दिए जाने के पूर्व किसी समय समापक को अनंतिम समापक नियुक्त कर सकेगा ।”
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) “ न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ; और (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में, “ न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ; और
	उपधारा (4)	उपधारा (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (4) परिसमापन के आदेश के दिए जाने पर, समापक अनंतिम समापक के रूप में अपना पद धारण करने से प्रविस्त हो जाएगा तथा सीमित दायित्व भागीदारी का समापक हो जाएगा ।”
7.	धारा 451(समापकों विषयक साधारण उपबंध)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में, -

		<p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p>
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
8.	धारा 453 समापक के हाथ में आस्तियों के लिए रिसीवर का नियुक्त न किया जाना	धारा 453 में “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;
9.	धारा 454 (कार्यकलाप के विवरण का शासकीय समापक को किया जाना)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (1) (i) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी अधिकरण के पास अपने कार्यकलाप का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए परिसमापन के लिए अर्जी के साथ फाइल करेगी ;</p> <p>(ii) जहां सीमित दायित्व भागीदारी उसके परिसमापन के लिए किसी अर्जी का विरोध करती है उसे वह अधिकरण के पास अपने कार्यकलाप के विवरण के साथ ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर जो अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करेगी ;</p> <p>(iii) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है या समापक को अनंतिम समापक के रूप में नियुक्त किया है, जब तक कि अधिकरण अपने स्वविवेक से अन्यथा आदेश न दे तब तक सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलाप के विवरण समापक को ऐसे प्ररूप में</p>

		<p>और ऐसे विशिष्टियों से युक्त जो विहित की जाएं, किए जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे ;</p> <p>(iv) सीमित दायित्व भागीदारी के वे अभिहित भागीदार और अन्य अधिकारी जिनकी बाबत परिसमापन के लिए अर्जी की गई है , यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमित दायित्व भागीदारी के लेखे आदेश की तारीख तक सीमित दायित्व भागीदारी नियम 2009 के अनुसार पूर्ण हैं और संपरीक्षित हैं तथा परिसमापन आदेश की समाप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो अभिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए सीमित दायित्व भागीदारी के खर्चे पर अधिकरण को प्रस्तुत कर दिए हैं।</p>
	उपधारा (2) और उपधारा (4)	उपधारा (2) और उपधारा (4) का लोप करें ।
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (3) उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन वह कथन सुसंगत तारीख से इक्कीस दिन के अंदर या उस तारीख से दो मास से अनधिक इतने बढ़ाए गए समय के अंदर, (जिसके अंतर्गत इक्कीस दिन की अवधि भी है), जितना समापक या अनंतिम समापक या अधिकरण विशेष कारणों से नियत करें, भेजा जाएगा”</p>
	उपधारा (5क)	<p>उपधारा (5क) में,</p> <p>“जिसने परिसमापक आदेश किया या अनंतिम समापक नियुक्त किया है” शब्दों के स्थान पर, जिसको इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता-है ” शब्द रखे।</p>
	उपधारा (6)	<p>उपधारा (6) में,</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) अभिदायी शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें</p>

		;
	उपधारा (7)	उपधारा (7) में,- (i) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें; और (ii) “शासकीय समापक” शब्दों के स्थान पर “समापक” शब्द रखें और ;
10.	धारा 455(शासकीय समापक द्वारा रिपोर्ट)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- (1) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है , वहां समापक परिसमापन आदेश से साठ दिन के भीतर अधिकरण को ऐसी विशिष्टियों से युक्त जो विहित की जाएं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।”
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) “शासकीय समापक” शब्दों के स्थान पर “समापक” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (iii) न्यायालय शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।”
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में,- (i) “ शासकीय समापक” शब्दों के स्थान पर “समापक” शब्द रखें ; (ii) न्यायालय शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।”

11.	धारा 456(कंपनी की संपत्ति की अभिरक्षा)	
	उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)	<p>उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जो उपधारा (2) में आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ।”</p>
12.	धारा 457(समापक की शक्तियाँ)	
	उपधारा (1) और उपधारा (2)	<p>उपधारा (1) और उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें;</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) उपधारा (1) के खंड ग के पश्चात् खंड (गक) अंतःस्थापित करें अर्थात् :-</p> <p>“गक) सीमित दायित्व भागीदारी का संपूर्ण उपक्रम को जाने वाले समुत्थान के रूप में विक्रय करना ।”</p> <p>(iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें और</p> <p>(v) “कंपनी की मुद्रा” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी की मुद्रा” शब्द रखें ।</p>
13.	धारा 458 (समापक का विवेकाधिकार)	धारा 458 में, “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “अधिकरण” शब्द रखें ;

14.	धारा 458क(परिसीमाकाल की संगणना करने में कतिपय समय का अपवर्जन)	<p>धारा 458क में,-</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p>
15.	धारा 460 (समापक की शक्तियों का प्रयोग और नियंत्रण)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें; और</p> <p>(iii) “साधारण अधिवेशन” शब्दों के स्थान पर “अधिवेशन” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें और</p> <p>(ii) “साधारण अधिवेशन” शब्दों के स्थान पर “अधिवेशन” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,-</p> <p>(i) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें और</p> <p>(ii) “साधारण अधिवेशन” शब्दों के स्थान पर “अधिवेशन” शब्द रखें ।”</p>

	उपधारा (5)	उपधारा (5) में,- “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;”
	उपधारा (4) और उपधारा (6)	उपधारा (4) और उपधारा (6) में,- “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ।
16.	धारा 463(समापकों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,- (i) “कंपनियों” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारियों” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें; (iii) “या इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913(1913 का 7)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप करें । (iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें और (v) इस उपधारा के परंतुक का लोप करें ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ।

17.	धारा 464 (निरीक्षण समिति की नियुक्ति और उसकी संरचना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (1)अधिकरण यह निदेश कि समापक के साथ कार्य करने के लिए निरीक्षण समिति नियुक्त की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन आदेश किए जाने के समय या तत्पश्चात किसी भी समय दे सकेगा ।”
	उपधारा (2) और उपधारा (3)	उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप करें ।
18.	धारा 465(निरीक्षण समिति का गठन और प्रक्रिया)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (1) (i) धारा 464 के अनुसरण में नियुक्त निरीक्षण समिति इतने अनुपात में, जितने लेनदारों और भागीदारों के अधिवेशन द्वारा करार पाया जाए अथवा उन अधिवेशनों के बीच इस संबंध में राय में अंतर होने की दशा में, जितना अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों और भागीदारों अथवा लेनदारों या भागीदारों के साधारण या विशेष मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्तियों में से बारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर गठित होगी ; (ii)समिति द्वारा अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए ।”
	उपधारा (2) से उपधारा (5)	उपधारा (2) से उपधारा (5) का लोप करें ।

	उपधारा (7)	उपधारा (7) में,- “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और
	उपधारा (8)	उपधारा (8),- (i) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें ; और (ii) “मामूली संकल्प” शब्दों के स्थान पर “संकल्प” शब्द रखें ।
	उपधारा (9)	उपधारा (9) में,- (i) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और (ii) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें; (iii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ।
19.	धारा 466(परिसमापन रोकने की न्यायालय की शक्ति)	
	उपधारा (1) और उपधारा (2)	उपधारा (1) और उपधारा (2) में,- (i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें । (ii) “शासकीय समापक” शब्दों के स्थान पर जहां जहां

		<p>वे आते हैं “समापक” शब्द रखें ; और</p> <p>(iii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,-</p> <p>“कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।</p>
20.	धारा 467(अभिदायियों की सूची का स्थिरीकरण तथा अस्तियों उपयोजन)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,-</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ।</p> <p>(ii) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “उन सब मामलों में सदस्यों के रजिस्टर का परिशोधन की शक्ति अपने हाथ में रखते हुए, जिनमें इस अधिनियम के अनुसरण में परिशोधन किया जाना अपेक्षित है” शब्दों के स्थान पर “उस रीति में जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ।</p> <p>(iv) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।</p> <p>(v) इस उपधारा के परंतुक का लोप करें ।</p>
	उपधारा (2)	उपधारा (2) का लोप करें ।

21.	धारा 468 (संपत्ति का समापक को परिदान)	<p>धारा 468 में,-</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “अभिदायियों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।</p>
22.	धारा 471(कंपनी को शोध्ध धन का बैंक में जमा किया जाना)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,-</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(iii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,-</p> <p>“न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p>
23.	धारा 474 (अपने ऋणों को संदाय न करने वाले लेनदारों को अपवर्जित करने	<p>धारा 474 में,-</p> <p>“न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें</p>

	की शक्ति)	;
24.	धारा 476 (खर्च दिलाने के आदेश की शक्ति)	धारा 476 में,- “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ।
25.	धारा 477(उन व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, जिनकी बाबत यह संदेह है कि उनके पास कंपनी की संपत्ति आदि है)	
	उपधारा (1) से उपधारा (8)	उपधारा (1) से उपधारा (8)में,- (i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ; और (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
26.	धारा 478 (संप्रवर्तकों, निदेशकों आदि का खुले न्यायालय में साक्ष्य लिए जाने का आदेश देने की शक्ति)	
	उपधारा (1), (2), (4), (5), (7), (8) और (9)	उपधारा (1), (2), (4), (5), (7), (8) और (9) में,- (i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ; (ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें ; (iii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता

		है, “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (iv) “शासकीय समापक” शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं “समापक” शब्द रखें ;
	उपधारा (3)	उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “कोई लेनदार या भागीदार भी वह साक्ष्य लिए जाने में या तो स्वयं या किसी चाटर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या विधि व्यवसायी द्वारा, जो अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने का हकदार है, भाग ले सकेगा”
	उपधारा (6)	उपधारा (6) में,- (i) खंड (क) में, “शासकीय समापक की रिपोर्ट” शब्दों के स्थान पर “समापक की रिपोर्ट” रखें ; और (ii) खंड (ख) का लोप करें ।
	उपधारा (10)	उपधारा (10) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (10) इस धारा के अधीन कोई परीक्षा, यदि अधिकरण ऐसा निदेश दे अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी ।”
	उपधारा (11)	उपधारा (11) में,- (i) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और (ii) “न्यायाधीश या अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण या व्यक्ति” शब्द रखें ।
27.	धारा 479(फरार अभिदायी को गिरफ्तार करने की शक्ति)	धारा 479 में,- (i) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “भागीदार” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह

		आता है “अधिकरण” शब्द रखें ; और (iii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
28.	धारा 481 (कंपनी का विघटन)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,- (i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “अधिकरण” शब्द रखें ;
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
29.	धारा 482(किसी न्यायालय में दिए गए आदेश का दूसरे न्यायालयों द्वारा प्रवृत्त किया जाना)	धारा 482 में,- “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
30.	धारा 483(आदेशों की अपील)	धारा 483 में,- “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;
	अध्याय- 3 स्वैच्छा से किया जाने वाला परिसमापन	
31.	धारा 484 (वे परिस्थितियां जिनमें कंपनी का स्वैच्छा से परिसमापन किया जा	

	सकेगा)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- <p>“ (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छा से परिसमापन किया जा सकेगा यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने कुल भागीदारों में से कम से कम तीन चौथाई के अनुमोदन से सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए संकल्प पारित करती है :</p> <p>परंतु यह कि यदि सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार हैं, चाहे वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत, तब ऐसा परिसमापन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे लेनदारों का अनुमोदन ऐसी रीति में नहीं ले लिया जाता जो विहित की जाए ।”</p>
	उपधारा (2)	उपधारा (2) का लोप करें ।
32.	धारा 486(स्वैच्छा से किए जाने वाले परिसमापन का प्रारंभ)	उपांतरण के बिना लागू ।
33.	धारा 487(स्वैच्छा से किए जाने वाले परिसमापन का कंपनी की प्रा:स्थिति पर प्रभाव)	धारा 487 में,- <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “कंपनी का निगम स्वरूप और निगम के नाते उसकी शक्तियां” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी की प्रा:स्थिति और उसकी शक्तियां” शब्द रखें ।</p>
34.	धारा 488 (उस दशा में जिसमें स्वैच्छया से परिसमापन करने की प्रस्थापना है)	

	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (1)जहां कि यह प्रस्थापना की गई है कि स्वेच्छा से सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाए, वहां अभिहित भागीदारों की बहुसंख्या (दो से कम नहीं) द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो इस आशय के लिए विहित की जाए कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई ऋण नहीं है या यह कि वह अपने ऋणों का संदाय परिसमापन के प्रारंभ से एक वर्ष से अनधिक कि कालावधि में करने में समर्थ है, जितनी उस घोषणा में विनिर्दिष्ट की गई है।”
	उपधारा (2) और उपधारा (5)	उपधारा (2) और उपधारा (5) का लोप करें।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में, - (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “निदेशक” शब्द के स्थान पर “अभिहित भागीदार” शब्द रखें।
	उपधारा (4)	उपधारा (4) में, - (i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “निदेशक” शब्द के स्थान पर “अभिहित भागीदार” शब्द रखें ; और (iii) “पांच सप्ताह” शब्दों के स्थान पर “उपधारा (1) में विहित” शब्द रखें।
35.	धारा 494 (कंपनी की संपत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में अंशों (शेयर्स) आदि को प्रतिगृहित करने की समापक की शक्ति)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- (1) जहां कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी (अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी) पूर्णतया स्वेच्छा से परिसमापन करने की प्रस्थापना है या किया जा रहा है तथा यह

		<p>प्रस्थापना है कि उसका पूरा कारबार या संपत्ति या उस कारबार या संपत्ति का कोई भाग किसी दूसरी सीमित दायित्व भागीदारी को (अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी) भले ही वह इस अधिनियम के अर्थ में सीमित दायित्व भागीदारी हो या न हो, अंतरित कर दी जाए या भेज दी जाए, वहां अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का समापक उस सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे विशेष संकल्प की मंजूरी से जो उस समापक को या तो साधारण प्राधिकार या किसी विशिष्ट ठहराव के बारे में प्राधिकार प्रदत्त करता है -</p> <p>(क) उस अंतरण या विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में के अंश (शेयर), पालिसियां या वैसे ही अन्य हित अंतरक कंपनी के सदस्यों में वितरण करने के लिए प्राप्त कर सकेगा ; या</p> <p>(ख) ऐसा कोई अन्य ठहराव कर सकेगा जिससे अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के सदस्य अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी के लाभों में भाग, या उससे कोई अन्य फायदे नकदी, अंशों (शेयरों), पालिसियों या अन्य वैसे ही हितों के बदले या उनके अतिरिक्त ले सकेगे या प्राप्त कर सकेंगे :</p> <p>परंतु यह कि प्रतिभूत लेनदारों की सहमति के बिना कोई ऐसा ठहराव नहीं किया जाएगा” ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“(2) इस धारा के अनुसरण में किया गया कोई अंतरण, विक्रय या अन्य ठहराव सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों पर आबद्धकर होगा ।”</p>
	उपधारा (3)	उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-

		<p>“ (3) यदि अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदारी जिसने विशेष संकल्प के पक्ष में कोई मत नहीं दिया था, उससे अपनी लिखित रूप में विसम्मति जो सीमित दायित्व भागीदारी समापक को संबोधित है तथा सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में उस तारीख के 7 दिन के अंदर जिसको संकल्प पारित किया गया था, छोड़ दी गई है, अभिव्यक्त करता है तो वह सीमित दायित्व भागीदारी समापक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि करार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित की जाने वाली कीमत पर उस सदस्य का हित खरीद लें ।”</p>
	उपधारा (4)	<p>उपधारा (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी समापक उस भागीदार का हित खरीदने का विनिश्चय करता है तो क्रय धन कंपनी के विघटित किए जाने के पूर्व दे दिया जाएगा तथा समापक द्वारा वह ऐसी रीति से समुत्थापित किया जाएगा, जैसा भागीदारों की कुल संख्या के तीन-चौथाई द्वारा संकल्प द्वारा अवधारित की गई है ।”</p>
	उपधारा (5) और (6)	उपधारा (5) और (6) का लोप करें ।
36.	धारा 497 (अंतिम अधिवेशन और विघटन)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>उपधारा (1) निम्नलिखित के साथ उपधारा (1) रखें, अर्थात् :-</p> <p>“ (1) यथाशीघ्र सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य जब पूर्णतः परिसमाप्त हो जाएं तब सीमित दायित्व भागीदारी समापक, ऐसे प्रारूप और रीति में परिसमापन के दौरान ही यह दर्शित करते हुए कि कैसे सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति और आस्तियों का व्ययन किया गया और लेनदारों को समाधानपूर्ण इसमें ऋण का पूर्णतः निर्वहन या निर्वहन किया गया हैं और तत्पश्चात् भागीदारों या सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों का</p>

		<p>अनुमोदन और यथास्थिति उक्त रिपोर्ट पर अंतिम समापन भागीदारों या लेनदारों की बैठक में अंतिम समापन लेखाओं और स्पष्टीकरण चाहा है ;</p> <p>परंतु लेनदारों की ऐसी बैठक अपेक्षित नहीं है यदि ऐसी रीति में जो विहित की जाए, स्वैच्छिक समापन के आरंभ से पूर्व किसी लेनदार या लेनदारों को उनकी देयता का संदाय नहीं किया जाता ।</p>
	उपधारा (2), (4), (5), (6क), (6ख) और (7)	उपधारा (2), (4), (5), (6क), (6ख) और (7) का लोप करें ।
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (3) लेनदारों और भागीदारों के अधिवेशन के पश्चात् दो सप्ताह के अंदर सीमित दायित्व भागीदारी समापक यदि अपेक्षित हो तो --</p> <p>(क) अंतिम परिसमापन लेखा स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा ; और</p> <p>(ख) अंतिम परिसमापन लेखा, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति के साथ एक आवेदन सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन के आदेश को पारित कराने के लिए अधिकरण को फाइल करेगा ।</p> <p>यदि वह प्रति या किया गयाय ऐसा वह आवेदन ऐसे नहीं भेजा जाता तो सीमित दायित्व भागीदारी दायित्व समापक ऐसे जुर्माने से जो ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का होगा, दंडनीय होगा ।”</p>
	उपधारा (6)	<p>उपधारा (6) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें अर्थात् :-</p> <p>“ (6) स्पष्टीकरण और अंतिम परिसमापन लेखाओं और</p>

		सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिपोर्ट तथा आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि अधिकरण का यह समाधान हो गया है कि परिसमापन प्रक्रिया का सम्यक् रूप से पालन किया गया है तो अधिकरण ऐसे आवेदन, लेखा, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर यह आदेश पारित कर सकेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो जाएगी ।”
37.	धारा 511 (कंपनी की संपत्ति का वितरण)	धारा 511 में, - (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “अनुच्छेद” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी करार” शब्द रखें ; और (iii) “सदस्यों” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ।
38.	धारा 511क (स्वेच्छा से किए जाने वाले परिसमापन को धारा 454 का लागू होना)	धारा 511क में, - (i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और (ii) खंड (ख) में आने वाले शब्द “शासकीय” शब्द का लोप करें ।
39.	धारा 512 (स्वेच्छा से किए जाने वाले परिसमापन में परिसमापक की शक्तियां और कर्तव्य)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- सीमित दायित्व भागीदारी समापक स्वेच्छा से किए गए परिसमापन की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई

		<p>द्वारा संकल्प की मंजूरी से और अधिकरण के पूर्व अनुमोदन से -</p> <p>(i) लेनदारों के किसी वर्ग का पूर्ण संदाय कर सकेगा ;</p> <p>(ii) लेनदारों या वे व्यक्ति जो लेनदार होने का दावा करते हों या वे सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध जिसका वर्तमान या भविष्य, कतिपय या आकस्मिक रूप से वे किसी दावे का अभिकथन करते हों या जिसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी दायी हो, के साथ समझौता या ठहराव कर सकेगा ; या</p> <p>(iii) बकाया, अप्राप्त या वसूल नहीं किए गए अंशदान, ऋण और कोई दायित्व जिसके परिणामस्वरूप ऋण हो और वर्तमान या भविष्य कतिपय या आकस्मिक कोई अन्य दावा अभिनिश्चित हो या केवल क्षति में बने रहने या सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदार के बीच होने का अभिकथन या कोई अन्य ऋणी या कोई व्यक्ति जो सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व वाले किसी व्यक्ति और किसी भी तरह आस्तियों या दायित्वों पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रश्न या ऐसे निर्बंधनों पर जिरासे सहमत हुआ जा सके सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन सहित किन्हीं भागीदारों को देय किसी धन का समझौता कर सकेगा और ऐसे किसी ऋण दायित्व या दावे के निर्वहन के लिए प्रतिभूति ले सकेगा और उसकी बाबत पूर्ण निर्वहन करेगा।”</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (2) कोई लेनदार या भागीदार, इस उपधारा के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी को समापक द्वारा शक्तियों का कोई प्रयोग या प्रस्तावित प्रयोग के संबंध में अधिकरण को विहित रूप रीति में आवेदन कर सकेगा और सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे आवेदन को उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्</p>

		अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।”
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में,— (i) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें; और (iii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें।
	उपधारा (4)	उपधारा (4) में, “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
40.	धारा 514 (समापक के रूप में नियुक्ति पर प्रभाव डालने वाली भ्रष्ट उत्प्रेरणा)	धारा 514 में,— (i) “सदस्य” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (iii) “कंपनी के परिसमापक” शब्द जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी के सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
41.	धारा 515 (स्वेच्छा से किए जाने वाले परिसमापन में के समापक को नियुक्त करने और हटाने की न्यायालय की शक्ति)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-

		<p>“ (i) यदि किसी भी हेतुक से चाहे वह कैसा ही क्यों न हो कोई भी सीमित दायित्व भागीदारी समापक नहीं है जो कार्य करता है तो अधिकरण ऐसी फीस पर जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, किसी व्यक्ति को पैनल से सीमित दायित्व भागीदार समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।”</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (2) अधिकरण हेतुक दर्शित किए जाने पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को हटा सकेगा और हटाए गए कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।”</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (3) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर भी अधिकरण किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नियुक्त कर सकेगा या हटा सकेगा ।”</p>
	उपधारा (4)	उपधारा (4) का लोप करें ।
42.	धारा 517 (कंपनी और लेनदारों पर ठहराव कब आवद्धकर होगा)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,--</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “विशेष संकल्प” शब्द के स्थान पर “भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई द्वारा पारित संकल्प” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में, --</p> <p>(i) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द</p>

		<p>रखें;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अभिकरण” शब्द रखें ।</p>
43.	धारा 518 (प्रश्नों के अवधारण या शक्तियों का प्रयोग किए जाने के लिए अभिकरण में आवेदन करने की शक्ति)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अभिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(v) “आह्वान प्रवृत्त कराने” शब्दों के स्थान पर “बकाया अभिदाय की वसूली प्रवृत्त कराने” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,—</p> <p>(i) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अभिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और</p>

		(v) “उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट” शब्दों का लोप करें ।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) का लोप करें ।
	उपधारा (4)	“न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।
	उपधारा (5)	“कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
44.	धारा 519 (संप्रवर्तकों, निदेशकों आदि का साक्ष्य खुले न्यायालय में लिए जाने के लिए न्यायालय से समापक का आवेदन)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- “ (2) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन को यथा लागू धारा 478 के उपबंध उपधारा (1) के अधीन निदेशित किसी परीक्षा के संबंध में लागू होंगे ।
	अध्याय 5 : हर प्रकार के परिसमापन को लागू उपबंध	
45.	धारा 528 (सब प्रकारों के ऋणों का सबूत में ग्राह्य होना)	धारा 528,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “दिवालिया कंपनियों” शब्दों के स्थान पर

		“दिवालिया सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
46.	धारा 529 (दिवालिया कंपनियों के परिसमापन में दिवाला विषयक नियमों का लागू होना)	
	उपधारा (1), (2) और (3) तथा दृष्टांत	उपधारा (1), (2) और (3) तथा दृष्टांत में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “समापक” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
47.	धारा 529क (अध्यारोही अधिमानी संदाय)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
48.	धारा 530 (अधिमानी संदाय)	
	उपधारा (1), (4), (5), (7) और (8)	उपधारा (1), (4), (5), (7) और (8) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) उपधारा (1) के खंड (छ) में “धारा 235 या 237” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 43” शब्द और अंक रखें ।
	उपधारा (9)	उपधारा (9) का लोप करें ।
49.	धारा 531 (कपटपूर्ण अधिमान)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) इस उपधारा के परंतुक का लोप करें ।

	उपधारा (2)	उपधारा (2) में “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।
50.	धारा 531क (स्वेच्छा से किए गए अंतरणों का शून्य होना)	धारा 531क में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और (iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
51.	धारा 532 (सब लेनदारों के फायदे के लिए किए गए अंतरणों का शून्य होना)	धारा 532 में “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
52.	धारा 533 (उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कपटपूर्ण अधिमान दिया गया है, दायित्व और अधिकार)	
	उपधारा (1) और (2)	उपधारा (1) और (2) में,— (i) “इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्” शब्दों का लोप करें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (iii) “कंपनी का ऋण” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी ऋण” शब्द रखें ।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में, “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।
53	धारा 534 (प्लवमान भार का प्रभाव)	धारा 534 में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और

		(ii) इस धारा के परंतुक का लोप करें ।
54	धारा 535 (उस कंपनी की दशा में जिसका परिसमापन किया जा रहा है, दुर्भार संपत्ति पर दावा त्याग)	
	उपधारा (1) से (7)	उपधारा (1) से (7) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और (iii) “समापक” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
55.	धारा 536 (परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् किए गए अंतरणों का शून्य होना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “अंशों (शेयरों)” शब्दों के स्थान पर “अंशदान” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (iii) “सदस्य” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें । (iv) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,— (i) “न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन” शब्दों के स्थान पर “न्यायालय” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द

		<p>रखें ;</p> <p>(iii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “अंशों (शेयरों)” शब्दों के स्थान पर “अभिदान” शब्द रखें ; और</p> <p>(v) “सदस्य” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ।</p>
56.	धारा 537 (कुर्कियों, निष्पादनों आदि का न्यायालय द्वारा या न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन परिसमापन शून्य होना)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन” शब्दों का लोप करें ; और</p> <p>(iii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।</p>
57.	धारा 538 (परिसमापनाधीन कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपराध)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन” शब्दों का लोप करें ;</p> <p>(iii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व</p>

		भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में,— (i) “निदेशक” शब्द के स्थान पर “अभिहित भागीदार” शब्द रखें ; और (ii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
58.	धारा 539 (बहियों के मिथ्याकरण के लिए शास्ति)	धारा 539 में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ।
59.	धारा 540 (अधिकारियों द्वारा की गई कपटों के लिए शास्ति)	धारा 540 में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।
60.	धारा 541 (जहां कि समुचित लेखा नहीं रखे गए हैं वहां दायित्व)	
	उपधारा (1) और (2)	उपधारा (1) और (2) में, “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
61.	धारा 542 (कारबार में कपटपूर्ण आचरण के लिए दायित्व)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1),— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर

		<p>“सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “शासकीय समापक या समापक” शब्दों के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (3)	उपधारा 3 में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ।
62.	धारा 543 (अपचारी निदेशकों आदि के विरुद्ध नुकसानी निर्धारित करने की न्यायालय की शक्ति)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “निदेशक” शब्द के स्थान पर “अभिहित भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द</p>

		<p>रखें ;</p> <p>(v) "समापक या अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक या अधिकारी" शब्द रखें ।</p> <p>(vi) "शासकीय समापक या समापक" शब्द के स्थान पर "समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक" शब्द रखें।</p>
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखें ।
63.	धारा 544 (धारा 542 और 543 के अधीन वाले दायित्व का फर्म या कंपनी के भागीदारों या निदेशकों का विस्तृत होना)	<p>धारा 544 में,—</p> <p>(i) "न्यायालय" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखें ;</p> <p>(ii) "फर्म या निगम निकाय" शब्दों के स्थान पर "एक फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय" शब्द रखें ।</p> <p>(iii) "निगम निकाय का निदेशक" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार या निगम निकाय का निदेशक" शब्द रखें ।</p>
64.	धारा 545 (कंपनी के अपचारी अधिकारियों और सदस्यों का अभियोजन)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) "कंपनी" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;</p> <p>(ii) "न्यायालय" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखें ;</p> <p>(iii) "सदस्य" शब्द के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,—

		<p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “सदस्य” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ।</p> <p>(iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p>
	उपधारा (4)	<p>उपधारा (4) में,—</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p>
	उपधारा (5)	<p>उपधारा (5) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “सदस्य” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ।</p> <p>(iv) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p>
	उपधारा (7)	उपधारा (7) में,—

		<p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (8)	उपधारा (8) में, “ न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।
	उपधारा (9)	<p>उपधारा (9),--</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।</p>
65.	धारा 546 (मंजूरी के अधीन रहते हुए समापक द्वारा कतिपय शक्तियों का प्रयाग किया जाना)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) में,—</p> <p>(i) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iv) “विशेष संकल्प” शब्दों के स्थान पर “ भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई द्वारा पारित संकल्प” शब्द रखें ।</p>

		<p>(v) उपधारा (iii) के खंड (ख) में,—</p> <p>(क) “किसी आहवान का अथवा आहवान संबंधी दायित्व का” शब्दों के स्थान पर “ ऐसी बाध्यता के विरुद्ध किसी अभिदाय या दायित्व के लिए बाध्यता” शब्द रखें ।</p> <p>(ख) “ऐसे किसी आहवान” शब्दों स्थान पर, “ऐसी कोई बाध्यता” शब्द रखें ।</p> <p>(vi) “अभिदायी” शब्द जहां जहां वह आता है के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (1क)	<p>उपधारा (1क) में,—</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; और</p> <p>(ii) “ धारा 643 में अधीन उच्चतम न्यायालय उस दशा में जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापक किया जा रहा है यह उपबंध करने वाले नियम धारा 643 के अधीन बना सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार नियम बना सकेगी” शब्द रखें ।</p>
	उप धारा (2)	<p>उपधारा (2) में,—</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,—</p> <p>(i) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें;</p> <p>(ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द</p>

		रखें ;
66.	धारा 547 (यह अधिसूचना की कंपनी समापनाधीन है)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें; (iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
67.	धारा 548 (कंपनियों की बहियों और कागज पत्रों का साक्ष्य होना)	धारा 548 में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ; (iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
68.	धारा 549 (बहियों और कागजपत्रों का	

	लेखाओं और अभिदायियों द्वारा निरीक्षण)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ; (iii) “उच्चतम न्यायालय” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखें ; और (iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ;
69.	धारा 550 (कंपनी बहियों और कागजपत्रों का व्ययन)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें । (iii) खंड (क) में “या इसके पर्यवेक्षाधीन” शब्दों का लोप करें; और (iv) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर खंड (ख) इस प्रकार रखें, अर्थात्:- “ (ख) स्वेच्छा से परिसमापन की दशा में ; उस रीति में जिसे सीमित दायित्व भागीदारी प्रतिभूति लेनदारों के पूर्व अनुमोदन सहित भागीदारों की कुल संख्या के तीन चौथाई द्वारा अनुमोदित हो, यदि कोई हो ।”
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,—

		<p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “समापक” शब्द के स्थान पर “ समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक ” शब्द रखें ;</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,-</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “अभिदायी ” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ; और</p> <p>(iv) “समापक” शब्द स्थान पर “ समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक ” शब्द रखें ;</p>
70.	धारा 551(लंबित परिसमापन की बाबत इत्तिला)	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (1) (i) स्वैच्छया परिसमापन की दशा में सीमित दायित्व भागीदारी समापक , और अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में समापक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार करेगा जिसमें परिसमापन के बारे में कार्यवाहियों में और उसकी स्थिति के बारे में ऐसी विशिष्टियां हों और संपरीक्षित होने के पश्चात् निम्नलिखित के बारे में :</p> <p>(क) अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में अधिकरण में; और</p> <p>(ख) स्वैच्छया परिसमापन की दशा में रजिस्ट्रार के पास</p>

		<p>ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए फाइल करेगा :</p> <p>परंतु यह कि जहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक या परिसमापक ने लेखा अवधि के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के लेखे कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है या संदत्त नहीं की है, वह उस अवधि के लिए प्राप्त न होने या संदाय न करने का एक शपथ पत्र फाइल करेगा ।</p> <p>(ii) लेखाओं की सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा परीक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक लेखा परीक्षक को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो लेखा परीक्षक के लिए अपेक्षित हो:</p> <p>परंतु ऐसी कोई संपरीक्षा वहां आवश्यक नहीं होगी जहां अवधि के दौरान संव्यवहार पचास हजार रुपए या उससे कम का है ।</p> <p>(iii) जहां लेखाओं की संपरीक्षा इस धारा के अधीन अपेक्षित नहीं है, वहां लेखा विवरण में सीमित दायित्व भागीदारी समापक या समापक द्वारा एक घोषण अंतर्विष्ट होगी कि लेखा बही और लेखे समुचित रूप से रखे जाते हैं और निधियों का उपयोग सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के परिसमापन के लिए किया गया है ।</p> <p>स्पष्टीकरण :-- विवरण के संबंध में “ वर्ष ” के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,-</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें;</p>

		(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;
	उपधारा (2क)	उपधारा (2क) का लोप करें ।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में,- (i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; और (ii) “अभिदायी ” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ;
	उपधारा (4)	उपधारा (4) में,- (i) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “ भागीदार” शब्द रखें ; और (ii) “समापक” शब्द स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक ” शब्द रखें ;
	उपधारा (5)	उपधारा (5) में,- (i) “समापक” शब्द स्थान पर जहां जहां वह आता है “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक ” शब्द रखें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें;
71.	धारा 552(शासकीय समापक द्वारा धन का भारत के लोक लेखा में जमा किया जाना)	धारा 552 में,- (i) “शासकीय” शब्द का लोप करें ; (ii) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व

		भागीदारी” शब्द रखें; और (iii) “भारतीय रिजर्व बैंक में” शब्दों का लोप करें ।
72.	धारा 553 (स्वैच्छिक परिसमापक द्वारा धन का अनुसूचित बैंक में जमा किया जाना)	
	उपधारा (1) और उपधारा (2)	<p>उपधारा (1) और उपधारा (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“(1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापक अपनी उस हैसियत में अपने को प्राप्त धनों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुसूचित बैंक में अपने द्वारा उस निमित्त खोले गए विशेष बैंक खाते में जो -</p> <p>“ सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन का लेखा.....”;</p> <p>में संदाय करेगा :</p> <p>परंतु यह कि यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार को करने या अग्रिम अभिप्राप्त करने या किसी अन्य कारण के प्रयोजन के लिए लेनदारों या भागीदारों के लिए यह लाभदायक है कि सीमित दायित्व भागीदारी समापक का किसी अन्य बैंक में खाता होना चाहिए तो अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापक को ऐसे अन्य बैंक में संदाय करने या संदाय लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जिसका अधिकरण चयन करे ; और तदुपरि वह संदाय विहित रीति में और विहित अवधि में ऐसे अन्य बैंक में किए जा सकेंगे जहां वापस लिए जा सकेंगे ।</p> <p>(2) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक किसी समय पचास हजार रुपए या ऐसी अन्य रकम से, जो अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के आवेदन पर उसे प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करें, अधिक रकम दस दिन से अधिक के लिए प्रतिधारित करता है तब जब तक कि वह उस प्रतिधारण के लिए</p>

		<p>अधिकरण को समाधानप्रद रूप में स्पष्टीकरण नहीं देता है वह—</p> <p>(क) ऐसी अधिक प्रतिधृत रखी गई रकम पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगा, और ऐसी शास्ति भी देगा जैसी अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए,</p> <p>(ख) अपने व्यतिक्रम के कारण हुए कोई व्यय देने के दायित्व के अधीन होगा तथा</p> <p>(ग) अपने पूरे पारिश्रमिक या उसके ऐसे भाग को जैसा अधिकरण न्यायसम्मत समझे अननुज्ञात किए जाने के लिए भी तथा अपने पद से अधिकरण द्वारा हटाए जाने के भी दायित्व के अधीन होगा ।</p>
73.	धारा 554 (समापक द्वारा धनों का प्राइवेट बैंक खाते में जमा न किया जाना)	धारा 554 में, “ न तो शासकीय समापक और न ही कंपनी का कोई अन्य समापक” शब्दों के स्थान पर “ न तो समापक और न ही सीमित दायित्व भागीदारी का सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
74.	धारा 555 (अदत्त लाभांश और अवितरित आस्तियों का कंपनी के परिसमापन खाते में जमा किया जाना ।	
	उपधारा (1)	<p>उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :-</p> <p>“ (1) यदि समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पास या उसके नियंत्रणाधीन ऐसा कोई धन है, जो-</p> <p>(क) किसी लेनदार या लेनदारों को संदेय ऐसे लाभांश के मद्दे हैं, तो वह ऐसे धन के देय होने के पांच दिन के भीतर पृथक विशेष बैंक खाते में जो “मैसर्ससीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन) के लाभांश खाता” से ज्ञात है, अंतरण करेगा ।</p> <p>(ख) किसी भागीदार या भागीदारों को प्रतिदेय ऐसी आस्तियां मद्दे हैं, तो वह ऐसे धन के देय होने के पांच दिन के भीतर पृथक विशेष बैंक खाते में जो “ मैसर्स</p>

		<p>.....सीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन) के संवितरणी आस्ति खाता.....” से ज्ञात है, अंतरण करेगा ।</p> <p>(2) यदि वह रकम जो “मैसर्ससीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन) के लाभांश खाता” से ज्ञात है अंतरण किया गया है या “ मैसर्ससीमित दायित्व भागीदारी (समापनाधीन) के संवितरणी आस्ति खाता.....” से ज्ञात है, अंतरित किया गया है ।”</p> <p>किंतु ऐसी रकम के अंतरण की तारीख से छह मास के भीतर संदाय या दावा नहीं किया गया है तो समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक, उक्त छह मास की अवधि के अवसान की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त रकम को भारत के लोक लेखा में “सीमित दायित्व भागीदारी लेखा ” के नाम से ज्ञात पृथक् खाते में अंतरण करेगा ।”</p>
	उपधारा (2)	<p>उपधारा (2) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p>
	उपधारा (3)	<p>उपधारा (3) में,— “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p>
	उपधारा (4)	<p>उपधारा (4) में,—</p> <p>(i) “समापक” शब्द स्थान पर जहां जहां वह आता है “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक ” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “ भारतीय रिजर्व बैंक” शब्दों के स्थान पर “अनुसूचित बैंक” शब्द रखें ; और</p>

उपधारा (5)		<p>उपधारा (5) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p>
उपधारा (6)		<p>उपधारा (6) में,—</p> <p>(i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”;</p> <p>(iv) “ भारतीय रिजर्व बैंक” शब्दों के स्थान पर “ अनुसूचित बैंक” शब्द रखें ; और</p> <p>(v) कंपनी के समापन “खाते” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी खाते” शब्द रखें ।</p>
उपधारा (7)		<p>उपधारा (7) में,—</p> <p>(i) खंड (क) में,—</p> <p>(क) “कंपनी के समापन खाते” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” खाते शब्द रखें ।</p> <p>(ख) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(ग) “ (भले ही वह उस धारा के अनुसरण में या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के उपबंधों के अधीन जमा की गई हो)”</p>

		(ii) खंड (ख) का लोप करें ।
	उपधारा (8)	उपधारा (8) में,— (i) कंपनी के समापन “खाते” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” खाते शब्द रखें । (ii) “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “सात वर्ष” शब्द रखें ।
	उपधारा (9)	उपधारा (9) में,— (i) “समापक” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें”; (ii) कंपनी के समापन “खाते” शब्दों के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” खाते शब्द रखें । (iii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;
75.	धारा 556 (विवरणियां आदि तैयार करने के समापक के कर्तव्य को प्रवृत्त कराना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,— (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें; (iii) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें । (iv) “अभिदायी” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ;

	उपधारा (2) और (3)	उपधारा (2) और (3) में, “समापक” शब्द जहां जहां आता है, के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें)
76.	धारा 558 (वह न्यायालय या व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ लेकर शपथपत्र निष्पादित किया जा सकेगा)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1), में खंड (क) में “किसी न्यायालय के समक्ष” शब्दों के पश्चात् या अधिकरण शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) “सभी न्यायालय” शब्दों के पश्चात् “अधिकरणों” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ; और (ii) “किसी ऐसे न्यायालय” के पश्चात् “अधिकरण” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।
77.	धारा 559 (कंपनी के विघटन को शपथपत्र देने की न्यायालय की शक्ति)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में,- (i) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ; (ii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें; (iii) “धारा 394” शब्द और अंको के स्थान पर “धारा 62” शब्द और अंक रखें ; और (iv) “समापक” शब्द के स्थान पर “समापक या सीमित दायित्व भागीदारी समापक” शब्द रखें ।
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में, “न्यायालय” शब्द के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ।

78.	560 (कृत्य शून्य हो गई कंपनी का नाम रजिस्टर से काट देने की रजिस्ट्रार की शक्ति)	
	उपधारा (1) से (5)	उपधारा (1) से (5) का लोप करें।
	उपधारा (6)	उपधारा (6) में,-
		<p>(i) “रजिस्टर से किसी का नाम काटे जाने से व्यथित है” शब्दों के पश्चात् “धारा 75 के अधीन” शब्द अंतःस्थापित करें ;”</p> <p>(ii) “कंपनी” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” शब्द रखें ;</p> <p>(iii) “न्यायालय” शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “अधिकरण” शब्द रखें ;</p> <p>(iv) “संदस्य” शब्द के स्थान पर “भागीदार” शब्द रखें ।</p> <p>(v) “बीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द रखें और</p> <p>(vi) “पूर्वोक्त सूचना” शब्दों के पश्चात् रजिस्ट्रार सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में काटे जाने की सूचना” शब्द रखें ।</p>
	उपधारा (7)	उपधारा (7) में “कंपनी” शब्द के स्थान पर “सीमित दायित्व भागीदारी” रखें ।
	उपधारा (8) और (9)	उपधारा (8) और (9) का लोप करें
	<u>भाग 10 अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों का परिसमापन</u>	
79.	धारा 584 (विदेशी कंपनी के विघटित हो जाने पर भी उसका परिसमापन करने की शक्ति)	धारा 584 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :- “584 जहां कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित

	<p>सीमित दायित्व भागीदारी जो भारत में कारबार कर रहा है :--</p> <p>(क) भारत में कारबार काम बंद कर देता है ;</p> <p>(ख) विघटित हो चुका है या केवल अपने कार्यों के परिसमापन के प्रयोजन के लिए कारबार कर रहा है ;</p> <p>(ग) अपने ऋण संदाय में असमर्थ है, या</p> <p>(घ) अधिकरण का यह विचार है कि विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापक किया जाना न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है ।</p> <p>इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में परिसमापन किया जा सकेगा ; किसी बात के होते हुए भी कि सीमित दायित्व भागीदारी भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित है विघटित हो चुकी है या अथवा उस देश की विधि जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या निगमित द्वारा या इससे अधीन बंद के रूप में विद्यमान है ।”</p>
--	--

[फा. सं. 2/2/2009-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

G.S.R. 6(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 67 of Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) the Central Government hereby directs that the provisions of sections 441, 443, 445, 446, 448, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 458A, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 474, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 494, 497, 511, 511A, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 528, 529, 529A, 530, 531, 531A, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560 and 584 of the Companies Act, 1956 shall apply to a limited liability partnership, except where the context otherwise requires, with the following modifications:-

Modifications

- (i) (a) For the word “company” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act 1956, the words “limited liability partnership” shall be substituted;
- (b) for the word “articles” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act 1956, the words “limited liability partnership agreement” shall be substituted;
- (c) for the word “director” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act 1956 (except in section 544), the words “designated partner” shall be substituted;
- (d) for the word “promoter” or “member” or “contributory” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act 1956, the word “partner” shall be substituted;
- (e) for the word “Court” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act 1956 (except in sub-section (5A) of section 454, section 482 and section 483), the word “Tribunal” shall be substituted, provided that until the Tribunal is constituted under the Companies Act, 1956, the word “Tribunal” shall be substituted with the words “High Court”;
- (f) for the words “this Act” occurring in any of the aforesaid provisions of the Companies Act, 1956, the words “Limited Liability Partnership Act” shall be substituted.
- (ii) modifications set out in the Table.

Explanation.— For the purposes of application of the provisions of the Companies Act, 1956 to limited liability partnerships, it is hereby clarified that-

- (a) where any sub-section of the applicable aforesaid section of the Companies Act, 1956 is not specified in the Table, such sub-section of that section is applicable to the limited liability partnerships without any modification; and
- (b) “LLP Liquidator” means a limited liability partnership liquidator.

TABLE

Modifications to the provisions of the Companies Act, 1956 applied to Limited Liability Partnerships

S. No	Part/Chapter/Section number/marginal note and sub-section(s) in the Companies Act, 1956	Modifications
(1)	(2)	(3)
	<u>Part VII: Winding-up</u> <u>Chapter II: Winding up by the Court</u>	
1.	Section 441 (Commencement of winding up by Court)	
	sub-sections (1) and (2)	In sub-sections (1) and (2), - (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
2.	Section 443 (Powers of Court on hearing petition)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) On hearing a winding up petition, the Tribunal may within ninety days from the date of presentation of the petition – (a) dismiss it, with or without costs; (b) make any interim order as it thinks fit; (c) direct the action for revival or rehabilitation of the limited liability partnership in accordance with procedure laid down in sections 60 to 62 of the Limited Liability Partnership Act, 2008; (d) appoint a "Liquidator" as provisional liquidator of the limited liability partnership till the making of a winding up order; (e) make an order for the winding up of the limited liability partnership with or without costs; or (f) any other orders or orders as may be considered fit: Provided that the Tribunal shall not refuse to make a winding up order on the ground only that the assets of the limited liability partnership have been mortgaged for an amount equal to or in excess of those assets, or that the limited liability partnership has no assets.”

	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
	sub-section (3)	Omit sub-section (3).
3.	Section 445 (Copy of winding up order to be filed with Registrar)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) On the making of a winding up order, it shall be the duty of the petitioner in the winding up proceedings and of the limited liability partnership to file with the Registrar a certified copy of the order, within fifteen days from the date of the making of the order. If default is made in complying with the foregoing provision, the petitioner, or as the case may require, the limited liability partnership, and the designated partners of the limited liability partnership shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees for each day during which the default continues.”
	sub-section (1A)	In sub-section (1A), for the words "thirty days", substitute the words "fifteen days".
	sub-sections (2) and (3)	In sub-sections (2) and (3), for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
4.	Section 446 (Suits stayed on winding up order)	
	sub-sections (1) to (3)	In sub-sections (1) to (3),- (i) for the word "Court" wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (ii) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (iii) for the words "Official Liquidator", substitute the word "Liquidator".
	sub-section (2)	In sub-section (2), - (i) in clause (c), for the word and figure "section 391" substitute the word and figure "section 60"; and (ii) omit the following words and figures occurring at the end - "or before or after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960 (65 of 1960)".
5.	Section 448 (Appointment of Official Liquidator)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) For the purposes of winding up of a limited liability

		partnership by the Tribunal or for the purpose of appointment of provisional liquidator, there shall be a "liquidator" who may be either an Official Liquidator or a Liquidator appointed by an order of the Tribunal from the panel of such professionals, firms or bodies corporates consisting of such professionals as may be prescribed, which the Central Government shall constitute for that purpose in such manner as may be prescribed. In the absence of any such order the Official Liquidator shall become or act as "liquidator".
	sub-sections (1A) and (2)	Omit sub-sections (1A) and (2).
6.	Section 450 (Appointment and powers of provisional liquidator)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following :- “(1) At any time after the presentation of a winding up petition and before the making of a winding up order, the Tribunal may appoint the Liquidator to be liquidator provisionally.”
	sub-sections (2)	In sub-section (2).- (i) for the word "Court" wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and
	sub-sections (3)	In sub-section (3), for the word "Court" wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
	sub-section (4)	Substitute sub-section (4) with the following:- “(4) The Liquidator shall cease to hold office as provisional liquidator, and shall become the liquidator, of the limited liability partnership, on a winding up order being made.”
7.	Section 451 (General provisions as to liquidators)	
	sub-section (1)	In sub-section (1). - (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
8.	Section 453 (Receiver not to be appointed of assets with liquidator).	In section 453, for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
9.	Section 454 (Statement of affairs to be made to Official Liquidator)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) (i) Every limited liability partnership shall file with the

		<p>Tribunal a statement of its affairs in such form as may be prescribed alongwith the petition for winding up;</p> <p>(ii) where a limited liability partnership opposes a petition for its winding up, it shall file with the Tribunal a statement of its affairs in such form as may be prescribed within such time as may be specified by the Tribunal;</p> <p>(iii) where the Tribunal has made a winding up order or appointed the Liquidator as provisional liquidator, unless the Tribunal in its discretion otherwise orders, there shall be made out and submitted to the Liquidator a statement as to the affairs of the limited liability partnership in such form and containing such particulars as may be prescribed;</p> <p>(iv) The designated partners and other officers of the limited liability partnership in respect of which a petition for winding up is made, shall ensure that the accounts of the limited liability partnership are completed and audited in accordance with Limited Liability Partnership Rules 2009 up to the date of the order and submitted to the Tribunal at the cost of the limited liability partnership within 60 days of the date of the winding up order or within such period as may be allowed by the Tribunal."</p>
	sub-sections (2) and (4)	Omit sub-sections (2) and (4).
	sub-section (3)	<p>Substitute sub-section (3) with the following:-</p> <p>"(3) The statement under clause (iii) of sub-section (1) shall be submitted within twenty one days from relevant date or within such extended time not exceeding two months (including the period of twenty one days) from the date as the Liquidator or the provisional liquidator or the Tribunal may, for special reasons appoint."</p>
	sub-section (5A)	In sub-section (5A), for the words, "by which the winding up order is made or the provisional liquidator is appointed", substitute the words "having jurisdiction under this Act".
	sub-section (6)	<p>In sub-section (6), -</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "contributory", substitute the word "partner".</p>
	sub-section (7)	<p>In sub-section (7),-</p> <p>(i) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and</p> <p>(ii) for the words "Official Liquidator", substitute the word "liquidator".</p>
10.	Section 455 (Report by Official Liquidator)	
	sub-section (1)	<p>Substitute sub-section (1) with the following:-</p> <p>"(1) Where the Tribunal has made a winding up order, the Liquidator shall, within sixty days from the winding up order, submit to the Tribunal, a report containing such particulars as</p>

		may be prescribed.”
	sub-section (2)	In sub-section (2), - (i) for the words “Official Liquidator”, substitute the word “liquidator”; (ii) for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; and (iii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”.
	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the words “Official Liquidator”, substitute the word “liquidator”; and (ii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”.
11.	Section 456 (Custody of company's property)	
	sub-sections (1), (1A) and (2)	In sub-sections (1), (1A) and (2),- (i) for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; and (ii) for the word “Court” occurring in sub-section (2), substitute the word “Tribunal”.
12.	Section 457 (Powers of liquidator)	
	sub-sections (1) and (2)	In sub-sections (1) and (2),- (i) for the word “Court”, wherever it occurs, substitute the word “Tribunal”; (ii) for the words “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; (iii) after clause (c) in sub-section (1), insert clause (ca), namely:- “(ca) to sell whole of the undertaking of the limited liability partnership as a going concern.” (iv) For the word “contributory”, wherever it occurs, substitute the word “partner”; and (v) for the word “company's seal”, substitute the words “limited liability partnership's seal”.
13.	Section 458 (Discretion of liquidator)	In section 458, for the word “Court”, wherever it occurs, substitute the word “Tribunal”.
14.	Section 458A (Exclusion of certain time in computing periods of limitation)	In section 458A,- (i) for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; and (ii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”.
15.	Section 460 (Exercise and control of liquidator's	

	powers)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "contributories", substitute the word "partners"; and (iii) for the words "general meeting", substitute the word "meeting".
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "contributories", wherever it occurs, substitute the word "partners"; and (ii) for the words "general meeting", substitute the word "meeting".
	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the word "contributories", wherever it occurs, substitute the word "partners"; and (ii) for the words "general meetings", substitute the word "meetings".
	sub-section (5)	In sub-section (5), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
	sub-sections (4) and (6)	In sub-sections (4) and (6), for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
16.	Section 463 (Control of Central Government over liquidators)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "companies", substitute the words "limited liability partnerships"; (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; (iii) omit the words "or by the Indian Companies Act, 1913 (7 of 1913)"; (iv) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and (v) omit proviso to this sub-section.
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
17.	Section 464: (Appointment and composition of committee of inspection)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- "(1) The Tribunal may, at the time of making an order for the winding up of a limited liability partnership or at any time

		thereafter, direct that there shall be appointed a committee of inspection to act with the liquidator.”
	sub-sections (2) and (3)	Omit sub-sections (2) and (3).
18.	Section 465: (Constitution and proceedings of committee of inspection)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) (i) A committee of inspection appointed in pursuance of section 464 shall consist of such number of members not exceeding twelve, as the Tribunal may order, being creditors and partners of the limited liability partnership or persons holding general or special powers of attorney from creditors or partners, in such proportions as may be agreed on by the meeting of creditors and partners or in case of difference of opinion between the meetings, as may be determined by the Tribunal. (ii) The procedure to be adopted by the committee shall be as may be prescribed.”
	sub-sections (2) to (5)	Omit sub-sections (2) to (5).
	sub-section (7)	In sub-section (7), for the word “contributories”, substitute the word “partners”.
	sub-section (8)	In sub-section (8), - (i) for the word “contributories”, wherever it occurs, substitute the word “partners”; and (ii) for the words “ordinary resolution”, substitute the word “resolution”.
	sub-section (9)	In sub-section (9), - (i) for the word “contributories”, substitute the word “partners”; (ii) for the word “contributory”, substitute the word “partner”; and (iii) for the word “Court”, wherever it occurs, substitute the word “Tribunal”.
19.	Section 466 (Powers of Court to stay winding up)	
	sub-sections (1) and (2)	In sub-sections (1) and (2),- (i) for the word “Court”, wherever it occurs, substitute the word “Tribunal”; (ii) for the word “Official Liquidator”, wherever it occurs, substitute the word “liquidator”; and (iii) for the word “contributory”, substitute the word “partner”.
	sub-section (3)	In sub-section (3), for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”.
20.	Section 467 (Settlement of list of contributories and application of assets)	

	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal". (ii) for the word "contributories", wherever it occurs, substitute the word "partner". (iii) for the words "with power to rectify the register of members in all cases where rectification is required in pursuance of this Act", substitute the words "in such manner as may be prescribed"; (iv) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and (v) omit the proviso to this sub-section.
	sub-section (2)	Omit sub-section (2).
21.	Section 468 (Delivery of property to liquidator)	In section 468,- (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (ii) for the word "contributory", substitute the word "partner"; (iii) for the word "contributories", substitute the word "partners"; and (iv) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";
22.	Section 471 (Payment into bank of moneys due to company)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; (ii) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and (iii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
23.	Section 474 (Power to exclude creditors not proving in time)	In section 474, for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
24.	Section 476 (Power to order costs)	In section 476, for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
25.	Section 477 (Power to summon persons suspected of having property of company, etc.)	
	sub-sections (1) to (8)	In sub-sections (1) to (8),- (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and

		(ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
26.	Section 478 (Power to order public examination of promoters, directors etc.)	
	sub-sections (1), (2), (4), (5), (7), (8) and (9)	In sub-sections (1), (2), (4), (5), (7), (8) and (9),- (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (ii) for the word "contributory", wherever it occurs, substitute the word "partner"; (iii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (iv) for the words "Official Liquidator", wherever they occur, substitute the word "liquidator".
	sub-section (3)	Substitute sub-section (3) with the following:- "Any creditor or partner may also take part in the examination either personally or by any chartered accountants or company secretaries or cost accountants or legal practitioners entitled to appear before the Tribunal."
	sub-section (6)	In sub-section (6),- (i) In clause (a), for the words "Official Liquidator's report", substitute the words "liquidator's report; and (ii) omit clause (b).
	sub-section (10)	Substitute sub-section (10) with the following:- "(10) An examination under this section may, if the Tribunal so directs, be held before any authority or person authorized by the Tribunal".
	sub-section (11)	In sub-section (11),- (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the words "Judge or officer", substitute the words "authority or person".
27.	Section 479 (Power to arrest absconding contributory)	In section 479,- (i) for the word "contributory", wherever it occurs, substitute the word "partner"; (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and (iii) for the word "company", substitute the words " limited liability partnership".
28.	Section 481 (Dissolution of company)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and

		(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
29.	Section 482 (Order made in any Court to be enforced by other Courts)	In section 482, for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
30.	Section 483 (Appeals from orders)	In section 483, for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
	<u>Chapter III</u> <u>Voluntary winding up</u>	
31.	Section 484 (Circumstances in which company may be wound-up voluntarily)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) Any limited liability partnership may be wound up voluntarily if the limited liability partnership passes a resolution to wind up the limited liability partnership with approval of at least three-fourths of total number of its partners: Provided that if the limited liability partnership has creditors, whether secured or unsecured, then such winding up shall not take place unless approval of such creditors takes place in such manner as may be prescribed.”
	sub-section (2)	Omit sub-section (2).
32.	Section 486 (Commencement of voluntary winding up)	Apply without modification.
33.	Section 487 (Effect of voluntary winding up on status of company)	In section 487, (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the words "the corporate state and corporate powers of the company", substitute the words, "status of the limited liability partnership and its powers".
34.	Section 488 (Declaration of solvency in case of proposal to wind-up voluntarily)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) Where it is proposed to wind up a limited liability partnership voluntarily, the majority of its designated partners (being not less than two) shall make a declaration in such form and manner and within such time as may be prescribed to the effect that the limited liability partnership has no debt or that it will be able to pay its debts in full within such period not

		exceeding one year from the commencement of the winding up as may be specified in the declaration.”
	sub-section (2) and (5)	Omit sub-sections (2) and (5).
	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; and (ii) for the word “director”, substitute the words “designated partner”.
	sub-section (4)	In sub-section (4),- (i) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”; (ii) for the word “director”, substitute the words “designated partner”; and (iii) for the words “of five weeks”, substitute the words “prescribed in sub-section (1)”.
35.	Section 494 (Power of liquidator to accept shares, etc., as consideration for sale of property of company)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) Where a limited liability partnership (the transferor limited liability partnership) is proposed to be, or is in the course of being, wound up voluntarily and the whole or any part of its business or property is proposed to be transferred or sold to any limited liability partnership (the transferee limited liability partnership), the LLP Liquidator of the transferor limited liability partnership may, with the sanction of a resolution of the transferor limited liability partnership passed by at least three-fourths of total number of partners conferring on LLP liquidator either a general authority or an authority in respect of any particular arrangement,- (a) receive, by way of compensation wholly or in part for the transfer or sale, cash, securities, policies, or other like interests in the transferee limited liability partnership, for distribution among the partners of the transferor limited liability partnership; or (b) enter into any other arrangement whereby the partners of the transferor limited liability partnership may, in lieu of receiving cash, securities, policies or other like interest or in addition thereto, participate in the profits of, or receive any other benefit from, the transferee limited liability partnership: Provided that no such arrangement shall be entered into without the consent of the secured creditors, if any.”
	sub-section (2)	Substitute sub-section (2) with the following:- “(2) Any transfer, sale or other arrangement in pursuance of this section shall be binding on all the partners of the transferor limited liability partnership”.

	sub-section (3)	Substitute sub-section (3) with the following:- “(3) Any partner of the transferor limited liability partnership who did not vote in favour of the resolution and expressed his dissent therefrom in writing addressed to the LLP Liquidator and left at the registered office of the limited liability partnership within seven days after the passing of the resolution, may require the LLP Liquidator to purchase his interest at a price to be determined by agreement or the registered valuer.”
	sub-section (4)	Substitute sub-section (4) with the following:- “(4) If the LLP Liquidator decides to purchase such partner's interest, the purchase money, raised by him in such manner as may be determined by a resolution passed by three-fourths of total number of partners, shall be paid before the limited liability partnership is dissolved.”
	sub-sections (5) and (6)	Omit sub-sections (5) and (6).
36.	Section 497 (Final meeting and dissolution)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following, namely:- “(1) As soon as the affairs of a limited liability partnership are fully wound up; the LLP Liquidator shall prepare final winding up accounts, explanations and a report on the conduct of affairs of the limited liability partnership during winding up in such form and manner as may be prescribed, showing how the property and assets of the limited liability partnership have been disposed of and its debt fully discharged or discharged to the satisfaction of the creditors and thereafter seek approval of the partners or the creditors of the limited liability partnership, as the case may be, on the said report and the final winding up accounts and explanation in the meeting of partners or creditors: Provided that no such meeting of creditors is required if there were no creditors before commencement of voluntary winding up or creditors are paid their dues in such manner as may be prescribed.”
	sub-sections (2), (4), (5), (6A), (6B) and (7).	Omit sub-sections (2), (4), (5), (6A), (6B) and (7).
	sub-section (3)	Substitute sub-section (3) with the following:- “(3) Within two weeks after the meeting of partners and of creditors, if required, the LLP liquidator shall- (a) send to the Registrar a copy of the final winding up accounts, explanation and report; and (b) file an application with the Tribunal alongwith a copy of the final winding up accounts, explanations and report, for passing an order of dissolution of the limited liability partnership.

		If the copy is not so sent or application not so made, the LLP Liquidator shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for every day during which the default continues.”
	sub-section (6)	Substitute sub-section (6) with the following, namely:- “(6) If the Tribunal is satisfied, after considering the application, final winding up accounts, explanations and report of the LLP Liquidator, that the process of winding up has been duly followed, the Tribunal may pass an order, within sixty days of the receipt of such application, accounts, explanations and report, that the limited liability partnership shall stand dissolved.”
37.	Section 511 (Distribution of property of company)	In section 511,- (i) for the word “company”, wherever it occurs, substitute the words “limited liability partnership”; (ii) for the word “articles” substitute the words “limited liability partnership agreement.”; and (iii) for the word “members”, substitute the word “partners”.
38.	Section 511A (Application of section 454 to voluntary winding up)	In section 511A, - (i) for the word “Court”, wherever it occurs, substitute the word “Tribunal”; and (ii) omit the word “Official” occurring in clause (b).
39.	Section 512 (Powers and duties of liquidator in voluntary winding up)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following:- “(1) The LLP Liquidator may, with the sanction of a resolution by three- fourths of total number of partners of the limited liability partnership, and prior approval of the Tribunal in the case of a voluntary winding up,— (i) pay any class of creditors in full; (ii) make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim, present or future, certain or contingent, against the limited liability partnership, or whereby the limited liability partnership may be rendered liable; or (iii) compromise any money due from partners including outstanding, unrealized or unrecovered contribution, debt, and liability capable of resulting in a debt, and any claim, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages, subsisting or alleged to subsist between the limited liability partnership and a partner or alleged partner or other debtor or person apprehending liability to the limited liability partnership, and all questions in any way relating to or affecting the assets or liabilities or the winding up of the limited liability partnership, on such terms as may be agreed,

		and take any security for the discharge of any such debt, liability or claim, and give a complete discharge in respect thereof.”
	sub-section (2)	Substitute sub-section (2) with the following:- “(2) Any creditor or partner may apply in the manner prescribed to the Tribunal with respect to any exercise or proposed exercise of powers by the LLP Liquidator under this sub-section, and the Tribunal shall after giving a reasonable opportunity to such applicant and the LLP Liquidator, pass such orders as it may think fit.”
	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the word “liquidator”, substitute the words “LLP liquidator”; (ii) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”; and (iii) for the word “contributories”, substitute the word “partners”.
	sub-section (4)	In sub-section (4), for the word “liquidators”, substitute the words “LLP liquidators.”
40.	Section 514 (Corrupt inducement affecting appointment as liquidator)	In section 514,- (i) for the word “member”, substitute the word “partner”; (ii) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”; and (iii) for the words “company’s liquidator”, wherever they occur, substitute the word “limited liability partnership’s LLP liquidator”.
41.	Section 515 (Power of Court to appoint and remove Liquidator in voluntary winding up)	
	sub-section (1)	Substitute sub-section (1) with the following, namely:- “(1) If from any cause whatever, there is no LLP liquidator acting, the Tribunal may appoint any person from the panel as a LLP liquidator on such fees as may be determined by it.”
	sub-section (2)	Substitute sub-section (2) with the following:- “(2) The Tribunal may, on cause shown remove a LLP liquidator and appoint any other person from the panel, as a LLP liquidator in place of the removed LLP liquidator.”
	sub-section (3)	Substitute sub-section (3) with the following:- “(3) The Tribunal may also appoint or remove a LLP liquidator on the application made by the Registrar in this behalf.”

	sub-section (4)	Omit sub-section (4).
42.	Section 517 (Arrangement when binding on company and creditors.)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the words "special resolution", substitute the words "resolution passed by three fourth of total number of partners".
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
43.	Section 518 (Power to apply to Court to have questions determined or powers exercised)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator"; (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (iii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (iv) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and (v) for the words "the enforcing of calls", substitute the words "enforcing realization of outstanding contribution".
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator"; (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; (iii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; (iv) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and (v) omit the words "specified in sub-section (3)".
	sub-section (3)	Omit sub-section (3).

	sub-section (4)	In sub-section (4), for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
	sub-section (5)	In sub-section (5), for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
44.	Section 519 (Application of liquidator to Court for public examination of promoters, directors, etc.)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (iii) for the word "liquidator", substitute the words "LLP Liquidator".
	sub-section (2)	Substitute sub-section (2) with the following:- "(2) The provisions of section 478 as applicable to winding up of limited liability partnerships by Tribunal shall apply in relation to any examination directed under sub-section (1)."
	<u>Chapter V:</u> <u>Provisions applicable to every mode of winding up</u>	
45.	Section 528 (Debts of all descriptions to be admitted to proof).	In section 528,- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the words "insolvent companies", substitute the words "insolvent limited liability partnerships".
46.	Section 529 (Application of insolvency rules in winding up of insolvent companies.)	
	sub-sections (1), (2) and (3) and Illustration	In sub-sections (1), (2) and (3) and Illustration,- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator".
47.	Section 529A (Overriding preferential payments)	
	sub-section (1)	In sub-section (1), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
48.	Section 530 (Preferential payments)	

	sub-sections (1), (4), (5), (7) and (8)	In sub-sections (1), (4), (5), (7) and (8),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) in sub-section (1), in clause (g), for the words and figures "section 235 or 237", substitute the word and figure "section 43".
	sub-section(9)	Omit sub-section (9).
49.	Section 531 (Fraudulent preference)	
	sub-section (1)	In sub-section (1), - (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) omit the proviso to this sub-section.
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
50.	section 531A (Avoidance of voluntary transfer)	In section 531A,- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (iii) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator".
51.	Section 532 (Transfers for benefit of all creditors to be void)	In section 532, for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
52.	Section 533 (Liabilities and rights of certain fraudulently preferred persons)	
	sub-sections (1) and (2)	In sub-sections (1) and (2),- (i) omit the words "after the commencement of this Act"; (ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and (iii) for the words "company's debt", substitute the words "limited liability partnership's debt".
	sub-section (3)	In sub-section (3), for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
53.	Section 534 (Effect of floating charge)	In section 534, - (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) omit the proviso to this section.

54.	Section 535 (Disclaimer of onerous property in case of a company which is being wound-up)	
	sub-sections (1) to (7)	<p>In sub-sections (1) to (7).-</p> <p>(i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(iii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
55.	Section 536 (Avoidance of transfers, etc., after commencement of winding up)	
	sub-section (1)	<p>In sub-section (1).-</p> <p>(i) for the word "shares", substitute the word "contribution";</p> <p>(ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(iii) for the word "members", substitute the word "partners"; and</p> <p>(iv) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator".</p>
	sub-section (2)	<p>In sub-section (2).-</p> <p>(i) for the words "or subject to the supervision of the Court", substitute the words "the Court".</p> <p>(ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal";</p> <p>(iii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(iv) for the word "shares", substitute the word "contribution"; and</p> <p>(v) for the word "members", substitute the word "partners".</p>
56.	Section 537 (Avoidance of certain attachments, executions, etc. in winding up by or subject to supervision of Court.)	
	sub-section (1)	<p>In sub-section (1).-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) omit the words "or subject to the supervision of";</p>

		(iii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
57.	Section 538 (Offences by officers of companies in liquidation)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) omit the words "or subject to supervision of"; (iii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (iv) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or L.P liquidator".
	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the word "directors", substitute the words "designated partners"; and (ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
58.	Section 539 (Penalty for falsification of books)	In section 539,- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "contributory", substitute the word "partner".
59.	Section 540 (Penalty for frauds by officers.-)	In section 540,- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal".
60.	Section 541 (Liability where proper accounts not kept)	
	sub-sections (1) and (2)	In sub-sections (1) and (2), for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership".
61.	Section 542 (Liability for fraudulent conduct of business)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (iii) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and

		(iv) for the words "the Official Liquidator or the liquidator", substitute the words "the liquidator or the LLP liquidator".
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".
	sub-section (3)	In sub-section (3), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
62.	Section 543 (Power of Court of assess damages against delinquent directors, etc.)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (iii) for the words "director, manager", wherever they occur, substitute the words "designated partner"; (iv) for the word "contributory", substitute the word "partner"; (v) for the words "liquidator or officer", wherever they occur, substitute the words, "Liquidator, LLP liquidator or officer"; and (vi) for the words "the Official Liquidator, or the liquidator", occurring in clause (b), substitute the words "the liquidator, or the LLP liquidator".
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the words "five years", substitute the words "one year".
63.	Section 544 (Liability under sections 542 and 543 to extend to partners or directors in firm or company)	In section 544,- (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; (ii) for the words "a firm or body corporate", substitute the words "a firm, limited liability partnership or body corporate"; and (iii) for the words "a director of that body corporate", substitute the words "a designated partner of that limited liability partnership or a director of that body corporate".
64.	Section 545 (Prosecution of delinquent officers and members of the company)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),-

		<p>(i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(iii) for the word "member", substitute the word "partner".</p>
	sub-section(2)	<p>In sub-section (2),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "member", substitute the word "partner"; and</p> <p>(iii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "LLP liquidator".</p>
	sub-section(3)	<p>In sub-section(3),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".</p>
	sub-section (4)	<p>In sub-section (4),-</p> <p>(i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(ii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "LLP liquidator".</p>
	sub-section(5)	<p>In sub-section (5),-</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal";</p> <p>(iii) for the word "member", substitute the word "partner"; and</p> <p>(iv) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator".</p>
	sub-section(7)	<p>In sub-section (7),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
	sub-section (8)	<p>In sub-section (8), for the word "Court", substitute the word "Tribunal".</p>

	sub-section (9)	<p>In sub-section (9),-</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(iii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
65.	Section 546 (Liquidator to exercise certain powers subject to sanction)	
	sub-section (1)	<p>In sub-section (1),-</p> <p>(i) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator, in the case of voluntary winding up";</p> <p>(ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(iii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal";</p> <p>(iv) for the words "special resolution", substitute the words "resolution passed by three-fourths of total number of partners";</p> <p>(v) in sub-clause (iii) of clause (b),-</p> <p>(a) for the words "call or liability to call", substitute the words "obligation to contribute or liability against such obligation"; and</p> <p>(b) for the words "any such call", substitute the words "any such obligation"; and</p> <p>(vi) for the word "contributory", wherever it occurs, substitute the word "partner".</p>
	sub-section(1A)	<p>In sub-section (1A),-</p> <p>(i) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(ii) for the words "the Supreme Court may make rules under section 643", substitute the words "the Central Government may make rules".</p>
	sub-section(2)	<p>In sub-section (2),-</p> <p>(i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(ii) for the word "liquidator", substitute the words, "LLP liquidator".</p>

	sub-section (3)	In sub-section (3),- (i) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (ii) for the word "contributory", substitute the word "partner".
66.	Section 547 (Notification that a company is in liquidation)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; and (iii) for the word "liquidator", substitute the words, "liquidator or LLP liquidator".
	sub-section (2)	In sub-section (2),- (i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and (ii) for the word "liquidator", substitute the words, "liquidator or LLP liquidator".
67.	Section 548 (Books and papers of company to be evidence)	In section 548,- (i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "contributories", substitute the word "partners"; and (iii) for the word "liquidators", substitute the words, "liquidators or LLP liquidators".
68.	Section 549 (Inspection of books and papers by creditors and contributories)	
	sub-section (1)	In sub-section (1),- (i) for the word "company" wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal"; (iii) for the words "Supreme Court", substitute the words "Central Government"; and (iv) for the word "contributory", substitute the word "partner".
69.	Section 550 (Disposal of books and papers of company)	

	sub-section (1)	<p>In sub-section (1),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator";</p> <p>(iii) in clause (a), omit the words "or subject to the supervision of"; and</p> <p>(iv) for clauses (b) and (c), substitute the following as clause (b):-</p> <p>"(b) in the case of voluntary winding up, in such manner as the limited liability partnership approves by three-fourths of total number of partners with the prior approval of the secured creditors, if any."</p>
	sub-section (2)	<p>In sub-section (2),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
	sub-section (3)	<p>In sub-section (3),-</p> <p>(i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal";</p> <p>(iii) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and</p> <p>(iv) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
70.	Section 551 (Information as to pending liquidations)	
	sub-section (1)	<p>Substitute sub-section (1) with the following:-</p> <p>"(1) (i) The LLP liquidator in the case of voluntary winding up, and the liquidator, in the case of winding up by Tribunal, shall prepare, every year, a statement of accounts as on 31st March in such form and manner containing such particulars with respect to proceedings in, and position of, the liquidation, as may be prescribed within two months from 31st March, and file after being audited:</p> <p>(a) in case of winding up by the Tribunal, in the Tribunal; and</p> <p>(b) in case of voluntary winding up, with the Registrar</p> <p>within such time as may be prescribed:</p>

		<p>Provided that where the LLP liquidator or liquidator has not, during the period of account, received or paid any sum of money on account of the assets of the limited liability partnership, he shall file an affidavit of no receipt or payment for the period.</p> <p>(ii) The accounts shall be audited by a person qualified to act as auditor of the limited liability partnership and for the purpose of the audit, the LLP liquidator or liquidator shall furnish the auditor such information as the auditor may require:</p> <p>Provided that no such audit is required where the transaction during the period is for Rs.50, 000/- or less.</p> <p>(iii) Where the audit of the accounts is not required under this section, the statements of accounts shall contain a declaration by the LLP liquidator or liquidator that the books and accounts are properly maintained and funds have been utilized only for the purpose of winding up of the affairs of the limited liability partnership.</p> <p>Explanation;- "Year" in relation to the statement means period from first day of April of the year to the 31st day of March following year.</p>
	sub-section (2)	<p>In sub-section (2),-</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "Court", substitute the word "Tribunal".</p>
	sub-section (2A)	Omit sub-section (2A).
	sub-section (3)	<p>In sub-section (3),-</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership"; and</p> <p>(ii) for the word "contributory", substitute the word "partner".</p>
	sub-section (4)	<p>In sub-section (4),-</p> <p>(i) for the word "contributory", substitute the word "partner"; and</p> <p>(ii) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator".</p>
	sub-section (5)	<p>In sub-section (5),-</p> <p>(i) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "LLP liquidator or liquidator"; and</p> <p>(ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".</p>

71.	Section 552 (Official Liquidator to make payments into public account of India)	<p>In section 552,-</p> <p>(i) omit the word "Official";</p> <p>(ii) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership; and</p> <p>(iii) omit the words "in the Reserve Bank of India".</p>
72.	Section 553 (Voluntary liquidator to make payments into Scheduled Bank)	
	sub-sections (1) and (2)	<p>Substitute sub-sections (1) and (2) with the following:-</p> <p>“(1) Every LLP liquidator shall pay, in such manner as may be prescribed, the monies received by him in his capacity as such in a Scheduled Bank to the credit of a special bank account opened by him in that behalf and called –</p> <p>“the Liquidation Account of _____ LLP”:</p> <p>Provided that if the Tribunal is satisfied that for the purpose of carrying on the business of the limited liability partnership or of obtaining advances or for any other reason, it is to the advantage of the creditors or partners that the LLP liquidator should have an account with any other bank, the Tribunal may authorise the LLP liquidator to make his payments into or out of such other bank as the Tribunal may select; and thereupon those payments shall be made in the prescribed manner and at the prescribed times into or out of such other bank.</p> <p>(2) If any LLP Liquidator at any time retains for more than ten days a sum exceeding fifty thousand rupees or such other amount as the Tribunal may, on the application of the LLP Liquidator, authorize him to retain, then, unless he explains the retention to the satisfaction of the Tribunal, he shall—</p> <p>(a) pay interest on the amount so retained in excess, at the rate of twelve per cent per annum and also pay such penalty as may be determined by the Tribunal;</p> <p>(b) be liable to pay any expenses occasioned by reason of his default; and</p> <p>(c) also be liable to have all or such part of his remuneration, as the Tribunal may consider just, disallowed, or may also be removed from his office by the Tribunal.”</p>
73.	Section 554 (Liquidator not to pay moneys into private banking account)	In section 554, for the words "Neither Official Liquidator nor any other liquidator of a company", substitute the words "Neither the liquidator nor LLP Liquidator of a limited liability partnership".
74.	Section 555 (Unpaid dividends and undistributed assets to be paid into the Companies Liquidation Account)	

sub-section (1)		<p>Substitute sub-section (1) with the following:-</p> <p>‘(1) If the Liquidator or LLP Liquidator has in its hands or under his control any money representing –</p> <p>(a) any money representing dividend payable to any creditor or creditors, he shall transfer, within five days of such money being due, in a separate special bank account known as the “Dividend Account of M/s _____ LLP (in liquidation)”.</p> <p>(b) any money representing assets refundable to any partner or partners, he shall transfer, within five days of such money being due, in a separate special bank account known as the “Distributable Asset Account of M/s _____ LLP (in liquidation)”.</p> <p>(2) If the amounts which have been transferred to the “Dividend Account of M/s _____ LLP (in liquidation)” or “Distributable Asset Account of M/s _____ LLP (in liquidation)” but have not been paid or claimed within six months from the date of transfer of such amount, the Liquidator or LLP Liquidator shall, within seven days from the date of expiry of the said period of six months, transfer the said amount into the Public Account of India in a separate account to be known as the “LLP Liquidation Account”.</p>
sub-section (2)		<p>In sub-section (2),-</p> <p>(i) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”; and</p> <p>(ii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”.</p>
sub-section (3)		<p>In sub-section (3), for the word “liquidator”, substitute the words “LLP liquidator or liquidator”.</p>
sub-section (4)		<p>In sub-section (4),-</p> <p>(i) for the word “liquidator”, wherever it occurs, substitute the words “LLP liquidator or liquidator”; and</p> <p>(ii) for the words “Reserve Bank of India”, substitute the words “Scheduled Bank”.</p>
sub-section (5)		<p>In sub-section (5),-</p> <p>(i) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”; and</p> <p>(ii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”.</p>
sub-section (6)		<p>In sub-section (6),-</p> <p>(i) for the word “company”, substitute the words “limited liability partnership”;</p> <p>(ii) for the word “Court”, substitute the word “Tribunal”;</p>

		<p>(iii) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator or liquidator";</p> <p>(iv) for the words "Reserve Bank of India", substitute the words "Scheduled Bank"; and</p> <p>(v) for the words "Companies Liquidation Account", substitute the words "LLP Liquidation Account".</p>
	sub-section (7)	<p>In sub-section (7).-</p> <p>(i) in clause (a).-</p> <p>(A) for the words "Companies Liquidation Account", substitute the words "LLP Liquidation Account";</p> <p>(B) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; and</p> <p>(C) omit the words and bracket "(whether paid in pursuance of this section or under the provisions of any previous companies law); and</p> <p>(ii) omit clause (b).</p>
	sub-section (8)	<p>In sub-section (8).-</p> <p>(i) for the words "Companies Liquidation Account", substitute the words "LLP Liquidation Account"; and</p> <p>(ii) for the words "fifteen years", substitute the words "seven years".</p>
	sub-section (9)	<p>In sub-section (9).-</p> <p>(i) for the word "liquidator", substitute the words "LLP liquidator or liquidator";</p> <p>(ii) for the words "Companies Liquidation Account", substitute the words "LLP Liquidation Account"; and</p> <p>(iii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal".</p>
75.	Section 556 (Enforcement of duty of liquidator to make returns, etc)	
	sub-section (1)	<p>In sub-section (1).-</p> <p>(i) for the word "company", substitute the words "limited liability partnership";</p> <p>(ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal";</p> <p>(iii) for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator"; and</p>

		(iv) for the word "contributory", substitute the word "partner".
	sub-section (2) and (3)	In sub-section (2) and (3), for the word "liquidator", wherever it occurs, substitute the words "liquidator or LLP liquidator".
76.	Section 558 (Court or person before whom affidavit may be sworn)	
	sub-section (1)	In sub-section (1), in clause (a), after the words, "before any Court", insert the words "or the Tribunal";
	sub-section (2)	In sub-section (2).- (i) after the words, "All Courts", insert the word "Tribunals"; and (ii) after the words "any such Court", insert the word "Tribunal".
77.	Section 559 (Power of Court to declare dissolution of company void)	
	sub-section (1)	In sub-section (1).- (i) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (ii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (iii) for the word and figure "section 394", substitute the word and figure "section 62"; and (iv) for the word "liquidator", substitute the words "liquidator or LLP liquidator".
	sub-section (2)	In sub-section (2), for the word "Court", substitute the word "Tribunal"
78.	560 (Power of Registrar to strike defunct company off register)	
	sub-sections (1) to (5)	Omit sub-sections (1) to (5).

	sub-section (6)	In sub-section (6),- (i) after the words "struck off the register", insert the words "under section 75"; (ii) for the word "company", wherever it occurs, substitute the words "limited liability partnership"; (iii) for the word "Court", wherever it occurs, substitute the word "Tribunal"; (iv) for the word "member", wherever it occurs, substitute the word "partner"; (v) for the words "twenty years", substitute the words "five years"; and (vi) for the words "notice aforesaid", substitute the words "notice striking off the name of the limited liability partnership from the register".
	sub-section (7)	In sub-section (7), for the word "company", substitute the words "limited liability partnership".
	sub-sections (8) and (9)	Omit sub-sections (8) and (9).
	<u>Part X: Winding up of Unregistered companies</u>	
79.	Section 584 (Power to wind up foreign companies, although dissolved)	Substitute section 584 with the following:- "584. Where a limited liability partnership registered or incorporated outside India, which has been carrying on business in India, - (a) ceases to carry on business in India; (b) is dissolved or is carrying on business only for the purpose of winding up its affairs; (c) is unable to pay its debts; or (d) the Tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the foreign limited liability partnership should be wound up, it may be wound up as a limited liability partnership registered under this Act, notwithstanding that the limited liability partnership registered or incorporated outside India has been dissolved or otherwise ceased to exist as such under or by virtue of the laws of the country under which it was registered or incorporated."

[F. No. 2/2/2009-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.